न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा (राज0)

मि0नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
143 ए/2021	17.09.2021	19.02.2024

पीठासीन अधिकारी–विजेन्द्र कुमार मीणा (आर.ए.एस.)

उनवान

1– अशोक कुमार आत्मज नन्दलाल
2– रवि कुमार आत्मज नन्दलाल
3– प्रियंका पुत्री नन्दलाल
4– शकुन्तला बाई बेवा नन्दलाल जाति धाकड़ निवासीगण ग्राम रेल गांव, तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

(वादीगण)

बनाम

1– राज0सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

(प्रतिवादीगण)

वादीगण की ओर से – श्री ललित कुमार मालव एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से – तहसीलदार दीगोद

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,92 ए आर.टी.एक्ट बाबत घोषणा खातेदारी

निर्णय

वादीगण ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि

1– यह कि ग्राम रेल गांव तहसील दीगोद में खसरा नम्बर 1511/1341 रकबा 1.64 हेक्टर आराजी स्थित है, एक मात्र खातेदार रामनारायण आत्मज अमरा जाति धाकड़ निवासी ग्राम रेलगांव थे जो जीवन पर्यन्त आराजी पर काबिज होकर काश्त करते रहे है।

2– यह कि रामनारायण जी के कोई सुलभि पुत्र –पुत्री नहीं होने से रामनारायण जी ने अपनी पत्नी कंचन बाई की सहमति से वादीगण के पिता एवं पति नन्दलाल आत्मज मदनलाल के पक्ष में वर्णित आराजी की एक वसीयत उप पंजीयक कार्यालय दीगोद में दिनांक 01.07.1999 को पंजीयन करवाई। उक्त वसीयत रामनारायण जी की अंन्तिम वसीयत है।

3– यह कि रामनारायण जी का दिनांक 19.05.2010 को स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास बाद प्रतिवादी द्वारा नन्दलाल जी के पक्ष में इन्तकाल नम्बर 810 दिनांक 05.08.2010 तस्दीक किया गया।

4– यह कि बाद इंतकाल प्रतिवादी के द्वारा इंतकाल नन्दलाल के नाम तस्दीक करने के बावजूद भी वादीगण के पिता एवं पति नन्दलाल जी के साथ– साथ रामनारायण जी की पत्नी कंचनबाई का भी नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया जो त्रुटिपूर्ण एंव अवैधानिक है तथा राजस्व कर्मचारियों का कंचनबाई के नाम दर्ज करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही है।

5– यह कि कंचन बाई का स्वर्गवास हो गया ह। कंचनबाई के नाम गलती से राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर देने तथा स्वर्गवास हो जाने पर वादीगण द्वारा प्रतिवादी को कंचन बाई का नाम राजस्व रिकॉर्ड में से डिलीट करने हेतु आवेदन किया जिस पर प्रतिवादी द्वारा नाम डिलीट नहीं करने से वादीगण के लिये यह वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है।

6— यह कि वाद कारण अन्तिम बार दिनांक 20.08.2021 को वादीगण द्वारा प्रतिवादी को कंचनबाई का नाम डिलीट करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने व प्रतिवादी द्वारा बिना न्यायालय के आदेश के इन्कार कर देने पर उत्पन्न हुआ।

7— यह कि वर्णित आराजी ग्राम रेल, तहसील दीगोद में स्थित होने से माननीय न्यायालय को वाद का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

8— यह कि वाद उचित न्यायशुल्क पर अवधि मध्य प्रस्तुत है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्व इस आशय की सादर डिक्री एवं निर्णय पारित फरमायी जावे कि:—

1— कि वादीगण का वाद विरूद्व प्रतिवादी डिक्री फरमाया जाकर ग्राम रेल तहसील दीगोद जिला कोटा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 1511/1341 रकबा 1.64 हेक्टर में से कंचनबाई पत्नी रामनारायण का नाम डिलिट फरमाया जाकर वादीगण को सम्पूर्ण आराजी का खातेदार घोषित किया जावे। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किया जावे, वाद व्यय एवं अन्य न्यायोचित सहायता भी वादीगण को प्रदान किया जावे।

वादीगण की ओर से निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये जो संलग्न है:—

1— नकल जमाबन्दी ग्राम रेल सम्वत 2067—2070
2— नकल जमाबन्दी ग्राम रेल सम्वत 2075—2078
3— नकल फोटो प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र रामनारायण
4— नकल फोटो प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र कंचनबाई
5— नकल फोटो प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र नन्दलाल
6— नकल फोटो प्रति वसीयत नामा

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी विधिवत करवायी गई। जवाब सरकार प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य में शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये जो शामिल पत्रावली किये गये। पत्रावली को बहस पर नियत की गयी।

वादीगण के अधिवक्ता एवं प्रतिवादी की बहस सुनी गयी। वादीगण के अधिवक्ता ने वाद पत्र की मदों को ही दोहराया गया। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड , बहस वादीगण एवं संलग्न अन्य दस्तावेजों एवं प्रस्तुत राजीनामा का गहन अध्ययन अवलोकन किया गया। वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी पर से कंचन बाई पत्नी रामनारायण का नाम डिलिट किया जाकर वादीगण को खातेदार घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम रेल तहसील दीगोद जिला कोटा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 1511/1341 रकबा 1.64 हेक्टर में से कंचनबाई पत्नी रामनारायण का नाम डिलिट किया जाकर सम्पूर्ण आराजी का वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार दीगोद को निर्देशित किया जाता है कि मृताबिक निर्णय अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19.02.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद